कृषि निदेशालय, बिहार

आ०सं०–06 / स्था०अव०कोर्ट–08 / 2015 (खंड) 779 कृ0 / पटना, दिनांक 13.9.2018

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–16697 / 2009 संजय कुमार वर्मा एवं अन्य तथा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–17531 / 2009 सूर्य मोहन झा एवं अन्य दोनों बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में पारित समेकित न्यायादेश दिनांक 20.10.2014, एल0पी0ए0 सं0–1489 / 2017 बिहार राज्य एवं अन्य बनाम संजय कुमार वर्मा एवं अन्य में पारित न्यायादेश दिनांक 23.02.2018 तथा एम0जे0सी0 सं0–1362 / 2015 सूर्य मोहन झा एवं अन्य और एम0जे0सी0 सं0–2124 / 2015 संजय कुमार वर्मा एवं अन्य दोनों बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में पारित समेकित न्यायादेश दिनांक 20.07.2018, 23.08.2018 एवं 04.09.2018 के अनुपालन में कृषि निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक–2083 दिनांक 19.06.2006 द्वारा वर्ष 2006 में प्रकाशित जनसेवकों / ग्रामीण प्रसार कार्यकर्त्ताओं की वरीयता सूची के आधार पर प्रोन्नति समिति की बैठक दिनांक 04.09.2018 में लिए गये निर्णय एवं किये गये अनुशंसा के आलोक में निम्नांकित आदेश प्रदान किये जाते हैः–

(1) माननीय उच्च न्यायालय, पटना के न्यायादेशानुसार एक वर्षीय पत्रोपाधि प्राप्त संदर्भित कर्मियों की वरीयता को अक्षुण्ण रखते हुए दो वर्षीय पत्रोपाधि प्राप्त कर्मियों को प्रोन्नति प्रदान करने के लिए निर्णय लिया जाता है।

(2) माननीय उच्च न्यायालय, पटना के न्यायादेशानुसार प्रशिक्षण लेने हेतु इच्छुक एक वर्षीय पत्रोपाधि प्राप्त जनसेवकों / ग्रामीण प्रसार कार्यकर्त्ताओं को द्वितीय वर्ष के वांछित प्रशिक्षण प्रदान कराने के लिए विभाग द्वारा समुचित व्यवस्था की जायेगी।

(3) माननीय उच्च न्यायालय, पटना के न्यायादेशानुसार चुँकि वर्ष 2006 की वरीयता सूची से ही पूर्व में प्रोन्नतियाँ प्रदान किये गये हैं इसलिए वर्ष 2006 की वरीयता सूची के आधार पर ही वरीयता–सह–आरक्षण कोटा के तहत् प्रोन्नति के दावों पर विचार किया जायेगा।

(4) माननीय उच्च न्यायालय, पटना के न्यायादेशानुसार वर्ष 1987 की सेवा नियमावली तथा प्रोन्नति के लिए समय–समय पर निर्गत संकल्पों / आदेशों के आधार पर प्रोन्नति कोटा में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा एल0पी0ए0 नं0–1489 / 2017 बिहार राज्य एवं अन्य बनाम संजय कमार वर्मा एवं अन्य में पारित न्यायादेश दिनांक 23.02.2018 के अनुपालन में दिनांक 31.08.2018 तक के अद्यतन अनुमान्य पदों / रिक्त पदों के विरूद्ध संबंधित कर्मियों के प्रोन्नति के दावों पर विचार किया जायेगा।

(5) माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में पूर्व से प्रोन्नत कर्मियों से प्रोन्नति से वंचित वरीय कर्मियों को प्रोन्नति प्रदान करने के लिए कृषि विभागीय संचिका संख्या–6 / स्था०कोर्ट–101 / 2004 के पृष्ठ 129 / टि० पर सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्श "वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए वित्त विभाग की स्वीकृति से अधिसंख्य पदों का अस्थायी रूप से सृजन कर प्रोन्नति देने की कार्रवाई की जा सकती है", का विभाग द्वारा पालन किया जायेगा।

(6) उपरोक्त वर्णित स्थिति में उपर्युक्त सुसंगत अभिलेखों / प्रतिवेदनों / पदों की उपलब्धता होने पर संदर्भित कर्मियों की नियमित प्रोन्नति के दावों पर विचार किया जायेगा।

(7) परन्तु चुँकि उपर्युक्त प्रक्रियाओं में अत्यधिक समय लगने की आवश्यकता है इसलिए तत्काल एम0जे0सी0 नं0–2124 / 2015 एवं 1362 / 2015 के 03+12=15 निम्नांकित आवेदकों को तत्काल पूर्णतः औपबंधिक रूप से प्रखंड कृषि पदाधिकारी / कृषि निरीक्षक एवं समकक्ष पदों में से

दिनांक 01.09.2018 को कुल रिक्त 45 पदों के विरूद्ध नीचे अंकित क्रमांक–01 से 15 तक के निम्नांकित कर्मियों को 15 (पन्द्रह) पदों पर वेतनमान पी0बी0–1+2400/–से पी0बी0–2+4200/– में तत्काल प्रभाव से इस शर्त्त पर प्रोन्नति प्रदान की जाती है कि कालान्तर में उपर्युक्त सुसंगत अभिलेखों/प्रतिवेदनों/पदों की उपलब्ध होने पर इन पन्द्रह (15) आवेदकों सहित सभी संबंधित सुयोग्य कर्मियों को नियमित प्रोन्नति प्रदान की जायेगी, ताकि परिपक्व अभिलेखों के आधार पर एवं आरक्षण नीति का पूर्ण पालन करते हुए संबंधित कर्मियों को समुचित रूप से नियमित प्रोन्नति प्राप्त हो सके:–

क्र0 सं0	व०क्र ०सं० 2006	नाम/पदनाम	गृह जिला	जन्म तिथि	पदस्थापन स्थान	अनु0 जाति/अ0ज0 जाति/अनारक्षित
	1	2	3	4	5	6
1	2776	श्री जयप्रकाश नारायण	प0 चम्पारण, बेतिया	20.12.1958	प0 चम्पारण, बेतिया	अनारक्षित
2	2777	श्री शंम्भू राय	प0 चम्पारण, बेतिया	28.10.1959	प0 चम्पारण, बेतिया	अनारक्षित
3	2782	श्री वीरेन्द्र कुमार शुक्ल	प0 चम्पारण, बेतिया	16.01.1961	प0 चम्पारण, बेतिया	अनारक्षित
4	2790	श्री संजय कुमार वर्मा	प0 चम्पारण, बेतिया	13.03.1963	प0 चम्पारण, बेतिया	अनारक्षित
5	2796	श्री राजकुमार वर्मा	प0 चम्पारण, बेतिया	15.01.1964	प0 चम्पारण, बेतिया	अनारक्षित
6	2799	श्री विजयेन्द्र सिंह	प0 चम्पारण, बेतिया	17.05.1964	प0 चम्पारण, बेतिया	अनारक्षित
7	2800	श्री रंजन कुमार	प0 चम्पारण, बेतिया	03.06.1964	प0 चम्पारण, बेतिया	अनारक्षित
8	2802	श्री सिद्धनाथ राय	बक्सर	15.01.1965	प0 चम्पारण, बेतिया	अनारक्षित
9	2822	श्री पारसनाथ काजी	प0 चम्पारण, बेतिया	15.01.1968	प0 चम्पारण, बेतिया	अ0ज0जा0
10	2825	श्री आनन्द ठाकुर	प0 चम्पारण, बेतिया	03.1.1969	प0 चम्पारण, बेतिया	अनारक्षित
11	2826	श्री राधव प्रसाद	प0 चम्पारण, बेतिया	03.01.1969	प0 चम्पारण, बेतिया	अनारक्षित
12	2830	श्री योगेन्द्र राम	प0 चम्पारण, बेतिया	21.02.1966	प0 चम्पारण, बेतिया	अ0ज0
13	2853	श्री विनय कान्त पाठक	सीतामढ़ी	03.01.1966	अनु॰कृ॰कार्या॰ (प्रसार) सीतामढ़ी पूर्वी	अनारक्षित

14	2884	श्री चक्रधर झा	सीतामढ़ी	27.07.1960	अनु॰कृ॰कार्या॰ (प्रसार) सीतामढ़ी प॰	अनारक्षित
15	2910	श्री सूर्यमोहन झा	सीतामढ़ी	06.07.1964	अनु॰कृ॰कार्या॰ (प्रसार) सीतामढ़ी प॰	अनारक्षित

(8) साथ ही, तत्काल सभी उपर्युक्त 15 (पन्द्रह) आवेदक अपने–अपने दो वर्षीय पत्रोपाधि प्राप्त योग्यता का मूल प्रमाण पत्र तथा जाति प्रमाण पत्र का मूल प्रमाण पत्र अपने–अपने कार्यालय प्रधान के माध्यम से अविलंब अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित करेंगे।

(9) प्रोन्नति समिति की बैठक दिनांक 04.09.2018 की उपर्युक्त संदर्भित कार्यवाही में लिए गये निर्णय एवं किये गये अनुशंसा के आधार में तत्काल अवमाननावाद में कारण पृच्छा दायर करने हेतु प्रस्ताव में प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से माननीय मंत्री, कृषि विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

(10) साथ ही, माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा एम0जे0सी0नं0–1362/2015 संजय कुमार वर्मा एवं अन्य तथा एम0जे0सी0 नं0–2124/2015 सूर्य मोहन झा एवं अन्य दोनों बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में पारित समेकित न्यायादेश दिनांक 07.09.2018 के अनुपालन में प्रोन्नति समिति की बैठक दिनांक 04.09.2018 की उपर्युक्त संदर्भित कार्यवाही में लिए गये निर्णय एवं किये गये अनुशंसा में प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से माननीय मंत्री, कृषि विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

(11) यह आदेश तुरंत प्रवृत्त होगी।

11.09.18

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक – 779 कृ0, पटना, दिनांक– 13.9.2018

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री कृषि विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/सभी राज्य स्तरीय संयुक्त निदेशक/सभी उप निदेशक/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी संबंधित पन्द्रह आवेदकों–सह–प्रोन्नत प्रखंड कृषि पदाधिकारी/कृषि निरीक्षक एवं समकक्ष धारकों/अन्य संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11.09.18

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।